न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

पैरोल अपील संख्या 03 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. बन्दी राजू पुत्र रामचन्द प्रजापत निवासी–बेनण, पुलिस थाना, पीपाड शहर जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक 2. जिला कलेक्टर, अध्यक्ष पैरोल कमेटी जोधपुर। 3. जेल अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 18 राज0 प्रिजन्स रिलीज पैरोल रूल्स, 2021 विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.09.2021 को अस्वीकृत किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री सुमेरसिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील धारा 18 राज0 प्रिजन्स रिलीज पैरोल रूल्स, 2021 के तहत जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के पैरोल चाहे जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 10.09.2021 को अस्वीकृत किये जाने पर दिनांक 27.0.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर मूल अभिलेख एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा अति0 जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.09.2019 के द्वारा दी गई। जिसके विरूद्ध डीबी क्रिमिनल अपील संख्या 174 / 2019 दायर की हुई है जो लम्बित हैं। अपीलान्अ उक्त सजा पिछले 06 वर्षो से केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में सदाचरण के साथ भुगत रहा है। इस दौरान ही अपीलान्ट के पिता

का निधन दिनांक 19.08.2021 को हो गया जिस कारण उसके द्वारा आपात पैरोल पैरोल नियम,2021 के नियम 11 के तहत 15 दिन का आपाल पैरोल हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर को पेश किया। उक्त आवेदन को दिनांक 10.09.2021 को जिला कलेक्टर जोधपुर ने अस्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट का पैरोल आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण की रिपोर्ट दिनांक 09.09.2021 के आधार पर खारिज कर दिया गया जो मनमाने ढंग से एवं बिना जॉच किये प्रस्तुत की गई थी जिसमें बंदी के परिवार द्वारा उससे नफरत व नाराजगी तथा विवाद उत्पन होने एवं अपनी जान को खतरा होना बताया था। बंदी के परिवारजन जिसमें माता, भाई, चाचा, चचेरा भाई, बहन इत्यादि के द्वारा शपथ प्रस्तुत कर बंदी राजू को पैरोल पर रिहा करने का निवेदन किया था, ऐसे में किसी प्रकार के विवाद अनहोनी व बन्दी को जान का खतरा नहीं होने व नफरत व नाराजगी की कोई भी गुन्जाइश नहीं होने का आश्वासन देकर निवेदन किया था।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के आवेदन बाबत उपनिदेशक, सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग जोधपुर द्वारा अभिशंसा करते हुए बंदी की समाज व पडौस की स्थिति संतोषनजक व आर्थिक स्थिति कमजोर होना बताया है। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा मात्र जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जोधपुर की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल आवेदन अस्वीकृत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्य न्यायालय ने कइ न्यायिक निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि आपात पैरोल या पेरोल अपराध की गंभीरता व जघन्यता के आधार पर पैरोल आवेदन को खारिज किया जाना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जबकि पैरोल एक बदी को समाज में पुनःसीापित होने एवं अपराध से सुधरने का अवसर देती है। अपीलान्ट को पैरोल के दौरान व जेल आचरण संतोषप्रद रहा है तथा भविष्य में भी इसी तरह संतोषप्रद रखने का पूर्ण विश्वास दिलाता है। अतः अपीलान्ट की अपील अनुसार जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 10.09.2021 को खारिज करते हुए अपीलार्थी को 15 दिवसीय पैरोल पर रिहा करने का आदेश प्रदान करावें।

5. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट बंदी राजूप्रजापत पुत्र रामचन्द्र प्रजापत जो कि सेशन न्यायालय जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 58/2015, 86/20215 पुलिस थाना बनाड में अन्तर्गत धारा 302, 201 भादस में आजीवन कारावास व जुर्माना 2000/– अ.अ. 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है जिसके द्वारा अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर 15 दिवसीय आपात पैरोल का आवेदन प्रस्तुत करने पर केन्दीय कारागृह जोधपुर द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को प्रेषित किया गया था बंदी द्वारा दिनांक 12.09.2021 तक कुल 06 वर्ष 11 माह 23 दिवस मय रेमिशन भुगत ली गई। अपीलान्ट के पिता के निधन हो जाने पर उसे आपात पैरोल दिये जाने हेतु जिला पुलिस अधिक्षक ग्रामीण जोधपुर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट जिसमें बंदी राजू प्रजापत द्वारा अपने स्वयं के 02 बच्चों को मारने के कारण उसका परिवार बंदी से नरफत की दृष्टि से देखने, नाराजगी रखने के कारण बंदी को जान का खतरा होने की संभावना होने/ विवाद होने की संभावना होने के कारण पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा नहीं की गई थी। जिसके आधार पर अपीलान्ट बंदी का आपास पैरोल का आवेदन अस्वीकृत किया गया था जो उचित कारण के आधार पर अस्वीकृत किया गया था अतः अपीलान्ट की अपील भी इन आधारों पर अस्वीकार करने योग्य है।

6. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट बंदी राजू प्रजापत के द्वारा 15 दिवस की आपात पैरोल चाहे जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा सामाजिक न्याय आधिकारिता विभाग, जोधपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सहमति दी गई एवं जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण द्वारा पैरोल दिये जाने पर अहसमति दी गई। जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा बंदी राजू प्रजापत के प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जोधपुर की रिपोर्ट जिसमें बंदी राजू प्रतापत द्वारा अपने स्वयं के 02 बच्चो को मारने के कारण उसके परिवार से नाराजगी व नफरत रखने तथा पिता के निधन पर अपने गांव जाने पर बंदी व उसके परिवार के साथ विवाद हो सकने की संभावना को देखते हुए पैरोल की अनुशंसा नहीं करने पर पैरोल पर रिहा नहीं किये

जाने का निर्णय लिया गया है जो तत्समय की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील अस्वीकार करने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक नवम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर